बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश संख्या :– 105/1470 दिनांकः– 08/11/2016

कार्यालय आदेश

स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) अंतर्गत व्यक्तिक शौचालय निर्माण हेतु परिक्रामी निधि की उपयोग उक्त के संबंध में दिशानिर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की दिशानिर्देश की कंडिका–5.6 के अनुसार सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह अथवा अन्य समूहों को परिक्रमी निधि उपलब्ध कराई जानी है ताकि वे उनके सदस्यों को जिनकी विश्वसनीयता कायम है शौचालयों के निर्माण के लिये सस्ता वित्त उपलब्ध करायें। यह परिक्रमी निधि उन ए.पी.एल परिवारों जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतगर्त शामिल नही है तथा वैसे बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल परिवार जो प्रोत्साहन राशि पाने के योग्य हैं, को स्नानघर की सुविधा के साथ बेहतर शौचालयों की अतिरिक्त लागत की पूर्ति करने के लिये वित्त पोषण दी जा सकती है। साथ ही इस राशि का उपयोग Rural Sanitation Mart(RSM)/ Production Centre(PC) के स्थापना हेतु भी किया जा सकता है। जिलों में परिक्रमी निधि के प्रावधान का अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत निर्गत मार्गदर्शिका में परिक्रमी निधि के संबंध में उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कियान्वयन के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश संख्या 68/सी, दिनांक 5.08.16 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैः–

कंडिका 10. a.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की परिक्रमी निधि को ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन के माध्यम से परिवार को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। शौचालय निर्माण तथा प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद लाभार्थी परिक्रामी राशि को ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन को लौटा देंगे ।

उपरोक्त के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतगर्त व्यक्तिक शौचालय निर्माण हेतु परिक्र्मी निधि का उपयोग निम्न प्रकार किया जा सकता हैः–

i. ऐसे ग्रामीण परिवार जो शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नही हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार जीविका के CLF/VO तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से अधिकतम रू 12000(बारह हजार रू) शौचालय, स्नानागार निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दिया जा सकता है। लाभार्थियों के शौचालय निर्माण के उपरांत उन्हें देय प्रात्साहन राशि से दिये गये ऋण की राशि का एक मुश्त समायोजन कर लिया जायेगा।

ii. लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु सहयोग प्रदान करने के लिये Rural Sanitation Mart (RSM)/ Production Centre(PC) के गठन हेतु प्रति RSM/PC रू 3.50 (तीन लाख पचास हजार रू) लाख की दर से ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है जिसकी कटौती 12 समान मासिक किस्तों में की जायेगी ।

iii. उपर्युक्त हेतु जिला द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतगर्त उपलब्ध राशि में से 50 लाख रूपये तक का उपयोग किया जा सकता है ।

iv. उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु जिला पदाधिकरी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति प्राधिकृत होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(हस्ताक्षर) 4/11/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव